कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

रेल्वे स्टेशन रोड, गुना (म.प्र.) 473001
E-mail : dfot.gun@mp.gov.in, Ph. 07542-259650

क्रमांक/व.नि.स./वरिष्ठ–NGT-46/2023 10854 गुना दिनांक/ 29/12/2023

प्रति,

मान. रजिस्ट्रार
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.)
सेंट्रल जोन बेंच
तृतीय तल, राज्य सूचना आयोग भवन
अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विषयः– मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 89/2023 (अंकित शर्मा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 25.08.2023 के पालन में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही हेतु समय–सीमा में वृद्धि करने वावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/NGT-CZB/JUD/2023/134 दिनांक 06.09.2023

––––000––––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 89/2023 (अंकित शर्मा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 25.08.2023 को पारित निर्णय के पालन में कक्ष क्रमांक पी 155 बीट मिर्जापुर (ब) में अतिक्रमण बेदखली हेतु 04 महीने का समय देकर 31.12.2023 तक पूर्ण अतिक्रमण बेदखल कर दिनांक 15.01.2024 तक रजिस्ट्रार सेंट्रल बेंच जोन भोपाल को कम्प्लाईंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था।

उक्त आदेश के पालन में वन परिक्षेत्र आरोन के कक्ष कमांक पी–155 बीट मिर्जापुर (ब) के अतिकमण को हटाने के लिए समय समय पर प्रयास किये गये, परन्तु व्यापक अतिक्रमण होंने से अतिक्रामकों के आक्रामक होने पर अतिक्रमण बेदखल करने में आंशिक सफलता ही मिली। इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी, आरोन द्वारा पत्र क्रमांक/1627 दिनांक 28/12/23 प्रस्तुत किया गया, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

प्रतिवेदन अनुसार मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 के चलते दिनांक 09.10.2023 से 04.12.2023 तक लगभग दो माह प्रदेश में आर्दश आचार सहिंता लागू होने से तथा पुलिस राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्वाचन तैयारी कार्यों में वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की भी निर्वाचन में ड्यूटी लगी होने एवं उप वन मंडालाधिकारी बीनागंज की ड्यूटी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गुना के आदेश क्र./निर्वा./से.ऑ./2023/791/दिनांक 29.07.2023 से सेक्टर ऑफीसर के रूप में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण सहित निर्वाचन सेक्टर से संबंधित अन्य समस्त दायित्वों हेतु लगने से समय पर बेदखली कार्यवाही नहीं की जा सकी।

विधानसभा निर्वाचन एवं मतगणना 2023 उपरांत वन परिक्षेत्र कार्यालय आरोन के पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 दिनांक 27.11.2023 से अनुविभागीय अधिकारी राघोगढ़ एवं आरोन, उप वनमण्डलाधिकारी बीनागंज, उप पुलिस अधिक्षक राघोगढ़, तहसीलदार राघोगढ़ एवं आरोन, पुलिस थाना प्रभारी राघोगढ़ एवं आरोन तथा संबंधित वन स्टॉफ को पत्र लिखकर दिनांक 07.12.2023 से दिनांक 13.12.2023 तक अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही हेतु योजना एवं मौके पर आवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों, पुलिस तथा अन्य संसाधन हेतु वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा मांग की गई। मेरे निर्देश उपरांत आवश्यक वन बल के साथ दिनांक 07.12.2023 को बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 में 4 जे. सी.बी. मशीन सहित वन परिक्षेत्र आरोन, गुना दक्षिण, गुना उत्तर, राघोगढ़, मक्सूदनगढ़, बीनागंज के परिक्षेत्र

अधिकारी मय स्टॉफ (लगभग 80 वन स्टॉफ), उपवन मंडलाधिकारी बीनागंज, तहसीलदार राघोगढ़ मय राजस्व अमला के साथ मौके पर पहुंचे तथा मौके पर मात्र पुलिस थाना राघोगढ़ का ही स्टॉफ उपस्थित हो पाया। मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण बेदखली हेतु जे.सी.बी. मशीन की सहायता से अतिक्रमण रोधी खंती खुदवाना प्रारंभ किया गया। लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 खंती ही अतिक्रमित क्षेत्र में खोदी गईं थी तभी ग्राम खैराई, लठ्या, सांकरा के ग्रामीण काफी संख्या में एकत्रित हो गये तथा जे.सी.बी. मशीनों के सामने खड़े होकर एवं इल्ली मारने की दबाई पीकर जान देने की धमकी देने लगे। मौके पर उक्त अतिक्रमणकारियों एवं ग्रामीणों द्वारा उक्त क्षेत्र में राजस्व के पट्टे एवं अन्य दस्तावेज भी लेकर आ गये और दिखाने लगे। मौके पर खैराई सरपंच भी आ गये तथा कार्यवाही को कुछ दिन रोकने के लिए कहने लगे, चूंकि ग्रामीणों की संख्या अत्यधिक होने तथा ग्रामीणों के द्वारा झगड़े पर उतारू होने से अप्रिय स्थति बनने की संभावना को देखते हुऐ अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही को रोककर पुनः नई तारीख तय कर और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं वन बल के साथ राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यवाही करने का निश्चय किया गया। वन परिक्षेत्र आरोन के पत्र क्रमांक 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568 दिनांक 07.12.2023 से अनुविभागीय अधिकारी राधोगढ़ एवं आरोन, उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज, उप पुलिस अधिक्षक राघोगढ़, तहसीलदार राघोगढ़ एवं आरोन, पुलिस थाना प्रभारी राघोगढ़ एवं आरोन को उक्त कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित कर उक्त अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही में ग्रामीणों से बड़े झगड़े एवं जानमाल की नुकसानी की पूर्ण संभावना को देखते हुऐ जिला स्तर पर प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग राजस्व, पुलिस एवं वन अधिकारियों एवं बड़ी मात्रा में पुलिस एवं वन अमले की उपस्थिति में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही किये जाने के संबंध में लेख कर निवेदन भी किया गया।

दिनांक 18.12.2023 को कलेक्ट्रेट कार्यालय गुना में जिलाधीश गुना, वन मंडलाधिकारी गुना, पुलिस अधीक्षक गुना उपस्थित रहे। जिसमें वन परिक्षेत्र आरोन के कक्ष क्रमांक पी 155 में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही के संबंध में मीटिंग हुई। बीट मिर्जापुर 'ब' के कक्ष क्रमांक पी. 155 में व्याप्त अतिक्रमण रकबा 72.782 हेक्टेयर के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 111/02 दिनांक 05.07.2023, 111/04 दिनांक 28.07.2023, 111/06 दिनांक 28.07.2023, 111/07 दिनांक 14.08.2023, 111/08 दिनांक 16.08.2023, 111/09 दिनांक 17.08.2023, 111/10 दिनांक 19.08.2023 एवं 111/11 दिनांक 19.08.2023 की कायमी की जाकर दिनांक 06.09.2023 को भा.व.अ. 1927 के तहत धारा 80 'अ' के नोटिस जारी किये गये तथा 27.10.2023 को बेदखली आदेश जारी किये जा चुके हैं। प्रकरण में पूर्व में भी बीट मिर्जापुर 'ब' के कक्ष कमांक पी 155 में अतिकमण रकबा 48.793 हेक्टेयर की बेदखली हेतु 45 अतिकामकों के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण कंमाक 91/25 दिनांक 28.07.2004 एवं पी.ओ.आर. 102/01 दिनांक 28.07.2004 जारी हैं। जिनके संन्दर्भ में समस्त 45 अतिकामको (संलग्न सूची अनुसार) को धारा 80 'अ' के नोटिस कमांक 2427 एवं 2421 दिनांक 19.01.2005 से एवं बेदखली आदेश कमांक A 1485 एवं A 1490 दिनांक 31.12.2005 से जारी किये गये है। उक्त अतिकमण काफी पुराना है एवं अतिसंबेदनशील क्षेत्र होने के कारण अतिकमण बेदखली में लडाई–झगडे की पूर्ण संभावना है। बृहद स्तर पर संयुक्त कार्यवाही की जाकर ही उक्त अतिकमण को बेदखल किया जा सकता है। टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 18/12/23 की छाया प्रति संलग्न है।

मीटिंग उपरांत कलेक्टर महोदय गुना के आदेश क्र./1083/भू–अभि./वर्कलोड/ 2023/दिनांक 20.12.2023 से एवं वन मंडलाधिकारी गुना द्वारा उक्त पत्र के संदर्भ में पृ.क्र./व.नि.स./एन.जी.टी. 46/2023/10533 दिनांक 20.12.2023 से कक्ष क्रमांक पी 155 में राजस्व एवं वन भूमि के संबंध में विसंगति निवारण हेतु राजस्व एवं वन विभाग की टीम गठित करने हेतु लेख किया गया। छाया प्रति संलग्न है। उक्त आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघोगढ़ एवं उपवन मंडलाधिकारी बीनागंज द्वारा वन एवं राजस्व अमले की संयुक्त टीम बनाकर कक्ष क्रमांक पी 155 में तहसील राघोगढ़ अंतर्गत आने वाली वन भूमि के अतिक्रमण क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी 155 में राजस्व खसरा नं. 167, 49, 52 में वन राजस्व भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया जिसमें राजस्व नक्शा अनुसार खसरा क्रमांक 50 एवं 52 के कुछ बटांकन निजी भूमि भी पाये गये। मौके पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जे से संबंधित कुछ वन एवं राजस्व संबंधी पुराने दस्तावेज भी

प्रस्तुत किये जिनके आधार पर अतिक्रमण लगभग 15 से 25 साल वर्ष पुराना पाया गया। अतिक्रमित क्षेत्र में कुछ पुराने घर भी बने पाये गये तथा मौके पर अतिक्रमण क्षेत्र में लगभग 1 माह पुरानी फसल खड़ी पाई गई। उक्त क्रम में अनुविभागीय अधिकारी आरोन द्वारा भी वन–राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के पालन में दिनांक 27.12.2023 से संयुक्त सर्वे कार्य किया जा रहा है जिसमें अभी समय लगेगा।

अतएव कृपया उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्र. पी–155 से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु 6 माह की समय वृद्धि करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

क्रमांक/व.नि.स./ NGT-46/2023 10855 गुना दिनांक/29/12/2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
3. श्री हरिराम कुमार तकनीकी अधिकारी (वानिकी) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लिंक रोड नम्बर 3 रविशंकर नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री डी.व्ही.एस. जाटव क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टेंकर पार्किंग एरिया गेल काम्प्लेक्स, विजयपुर जिला गुना की ओर सूनचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. कलेक्टर जिला गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in, Ph.- 07545258618

क्रमांक/ 1627 दिनांक 28/12/2023

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.) .

विषय :— माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल के आर्डर के पालन में कक्ष क्रमांक पी 155 बीट मिर्जापुर (ब) में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही हेतु समय—सीमा में वृद्धि करवाने वावत्।

संदर्भ :— माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण भोपाल बेंच में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक — OA/89/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2023 एवं आपका पत्र क्रमांक/व.नि.स./वरिष्ठ—एन.जी.टी. —46/2023/9631/गुना, दिनांक 08.11.2023

——000——

संदर्भातर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2023 में कक्ष क्रमांक पी 155 बीट मिर्जापुर (ब) में अतिक्रमण बेदखली हेतु 04 महीने का समय देकर 31.12.2023 तक पूर्ण अतिक्रमण बेदखल कर दिनांक 15.01.2024 तक रजिस्ट्रार सेंट्रल बेंच जोन भोपाल को कम्प्लाईंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। उक्त संदर्भ में विषयांतर्गत निवेदन है कि —

1. मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 के चलते दिनांक 09.10.2023 से 04.12.2023 तक लगभग दो माह प्रदेश में आर्दश आचार सहिंता लागू होने से तथा पुलिस राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्वाचन तैयारी कार्यों में व्यस्त रहने साथ ही वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की भी निर्वाचन में ड्यूटी लगी होने जिसमें मेरी स्वयं की एवं श्रीमान् उप वन मंडालाधिकारी महोदय बीनागंज की ड्यूटी कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय गुना म.प्र. के आदेश क्र./निर्वा./से.ऑ./2023/791/दिनांक 29.07.2023 से सेक्टर ऑफीसर के रूप में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण सहित निर्वाचन सेक्टर से संबंधित अन्य समस्त दायित्वों हेतु लगाई गई थी।

2. विधानं सभा निर्वाचन एवं मतगणना 2023 उपरांत वन परिक्षेत्र कार्यालय आरोन के पत्र क्रमांक 1526 दिनांक 27.11.2023 एवं पत्र क्रमांक 1523 दिनांक 27.11.2023 से श्रीमान् वन मंडलाधिकारी महोदय गुना एवं पत्र क्रमांक 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 दिनांक 27.11.2023 से अनुविभागीय अधिकारी राधोगढ़ एवं आरोन, उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज, उप पुलिस अधिक्षक राघोगढ़, तहसीलदार राघोगढ़ एवं आरोन, पुलिस थाना प्रभारी राघोगढ़ एवं आरोन तथा संबंधित वन स्टॉफ को पत्र लिखकर दिनांक 07.12.2023 से दिनांक 13.12.2023 तक अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही हेतु योजना एवं मौके पर आवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों, पुलिस तथा अन्य संसाधन हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया जाकर श्रीमान् वन मंडलाधिकारी महोदय गुना से निर्देश आवश्यक निर्देश एवं वन बल प्राप्त कर दिनांक 07.12.2023 को बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 में 4 जे.सी.बी. मशीन सहित वन परिक्षेत्र आरोन, गुना दक्षिण, गुना उत्तर, राघोगढ़, मक्सूदनगढ़, बीनागंज के परिक्षेत्र अधिकारी मय स्टॉफ (लगभग 80 वन स्टॉफ), श्रीमान् उपवन मंडलाधिकारी बीनागंज, तहसीलदार राघोगढ़ मय राजस्व अमला के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर तथा मात्र पुलिस थाना राघोगढ़ का ही स्टॉफ उपस्थित हुआ। मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण बेदखली हेतु जे.सी.बी. मशीन की सहायता से अतिक्रमण रोधी खंती खुदवाना प्रारंभ किया गया। लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 खंती ही अतिक्रमित क्षेत्र में खोदी गई थी तभी ग्राम खैराई, लढ्या, सांकरा के ग्रामीण काफी संख्या में एकत्रित हो गये तथा जे.सी.बी. मशीनों के सामने खड़े होकर एवं इल्ली मारने की दबाई पीकर जान देने के कर बात करने लगे। मौके पर उक्त अतिक्रमणकारियों एवं ग्रामीणों द्वारा उक्त क्षेत्र में राजस्व के पट्टे एवं अन्य

दस्तावेज भी लेकर आ गये और दिखाने लगे। मौके पर खैराई सरपंच भी आ गये तथा कार्यवाही को कुछ दिन रोकने के लिए कहने लगे, चूंकि ग्रामीणों की संख्या अत्यधिक होने तथा ग्रामीणों के द्वारा झगड़े पर उतारू होने से अप्रिय स्थति बनने की संभावना को देखते हुऐ अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही को रोककर पुनः नई तारीख तय कर और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं वन बल के साथ राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यवाही करने का निश्चय किया गया। वन परिक्षेत्र कार्यालय आरोन के पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 07.12.2023 से श्रीमान् वन मंडलाधिकारी महोदय गुना को एवं पत्र क्रमांक 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568 से अनुविभागीय अधिकारी राघोगढ़ एवं आरोन, उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज, उप पुलिस अधिक्षक राघोगढ़, तहसीलदार राघोगढ़ एवं आरोन, पुलिस थाना प्रभारी राघोगढ़ एवं आरोन को उक्त कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित कर उक्त अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही में ग्रामीणों से बड़े झगड़े एवं जानमाल की नुकसानी की पूर्ण संभावना को देखते हुऐ जिला स्तर पर प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग राजस्व, पुलिस एवं वन अधिकारियों एवं बड़ी मात्रा में पुलिस एवं वन अमले की उपस्थिति में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही किये जाने के संबंध में लेख कर निवेदन भी किया गया।

3. दिनांक 18.12.2023 को कलेक्ट्रेट कार्यालय गुना में श्रीमान् जिलाधीश महोदय गुना एवं श्रीमान् वन मंडलाधिकारी महोदय गुना की कक्ष क्रमांक पी 155 में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही के संबंध में मीटिंग हुई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राघोगढ़ एवं आरोन, उपवन मंडलाधिकारी बीनागंज, वन परिक्षेत्र अधिकारी आरोन भी उपस्थित रहे। मीटिंग उपरांत कलेक्टर महोदय गुना के आदेश क्र./1083/भू–अभि./वर्कलोड/2023/दिनांक 20.12.2023 से एवं वन मंडलाधिकारी गुना द्वारा उक्त पत्र के संदर्भ में पृ.क्र./व.नि.स./एन.जी.टी. 46/2023/10533 दिनांक 20.12.2023 से कक्ष क्रमांक पी 155 में राजस्व एवं वन भूमि के संबंध में विसंगति निवारण हेतु राजस्व एवं वन विभाग की टीम गठित करने हेतु लेख किया गया। उक्त आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघोगढ़ एवं उपवन मंडलाधिकारी बीनागंज द्वारा वन एवं राजस्व अमले की संयुक्त टीम बनाकर कक्ष क्रमांक पी 155 में तहसील राघोगढ़ अंतर्गत आने वाली वन भूमि के अतिक्रमण क्षेत्र का संयुक्त सर्वे हेतु संयुक्त आदेश क्रमांक/2190/स्टेनो/2023/दिनांक 20.12.2023 से पारित किया गया, उक्त आदेश के पालन में दिनांक 21.12.2023 एवं 22.12.2023 को कक्ष क्रमांक पी 155 में ग्राम खैराई के राजस्व खसरा नं. 167 एवं ग्राम लद्या के राजस्व खसरा नं. 49, 52 में वन राजस्व भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया जिसमें राजस्व नक्शा अनुसार ग्राम लद्या के खसरा क्रमांक 50 एवं 52 के कुछ बटांकन निजी भूमि भी पाये गये। मौके पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जे से संबंधित कुछ वन एवं राजस्व संबंधी पुराने दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जिनके आधार पर अतिक्रमण लगभग 15 से 25 साल वर्ष पुराना पाया गया। अतिक्रमित क्षेत्र में कुछ पुराने घर भी बने पाये गये तथा मौके पर अतिक्रमण क्षेत्र में लगभग 1 माह पुरानी फसल खड़ी पाई गई। उक्त क्रम में अनुविभागीय अधिकारी आरोन द्वारा भी पत्र क्रमांक री–1/2023 दिनांक 23.12.2023 से कक्ष क्रमांक पी 155 में तहसील आरोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के संयुक्त सर्वेक्षण हेतु पत्र वन–राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के पालन में दिनांक 27.12.2023 से संयुक्त सर्वे कार्य किया जा रहा है जिसमें अभी समय लगेगा।

उक्त बिन्दुओं के संदर्भ में श्रीमान् जी से निवेदन है कि कक्ष क्रमांक पी 155 में अतिक्रमण बेदखली हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल से निवेदन कर समय सीमा में कम से कम 6 माह की बृद्धि हेतु अनुरोध किये जाने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

रेल्वे स्टेशन रोड, गुना (म.प्र.) 473001
E-mail : dfot.gun@mp.gov.in, Ph. 07542-259650

क्रमांक / व नि स / वरिष्ठ–NGT-46 / 2023 9631 गुना दिनांक / 08/11/2023

प्रति,

(1) उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बीनागंज

(2) वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक ओ.ए 89 / 2023 (अंकित शर्मा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 25 / 08 / 2023 को निराकृत आदेश बावत्।

संदर्भः– कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला गुना का पत्र क. / 996 / भू–अभि. / भू.प्रब. / 2023 गुना दिनांक 30.10.2023

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति आपकी ओर भेजकर लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक ओ.ए 89 / 2023 (अंकित शर्मा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में निराकृत आदेश दिनांक 25 / 08 / 2023 में प्राप्त निर्देशानुसार वनकक्ष क पी–155 ग्राम सांकरा, लठया तहसील आरोन में अतिकमणकारियों के विरूद्ध बेदखली कार्यवाही की जाना है।

अतः आप राजस्व अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही सम्पन्न कराकर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें जिससे पालन प्रतिवेदन माननीय न्यायालय को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना
7.11.23

E:\Steno\New Letter 2023.doc

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in Ph.- 07545258618

क्रमांक / 1523 दिनांक 27-11-2023

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :- बीट मिर्जापुर (व) के वन कक्ष क्रमांक पी 155 ग्राम सांकरा, लठ्या तहसील राघोगढ एवं आरोन में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / व.नि.स. / वरिष्ठ–एन.जी.टी.–46 / 2023 / 9631 / गुना, दिनांक 08.11.2023 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण भोपाल बेंच में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक – OA/89/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2023

-- 000 --

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि संदर्भित पत्रो के पालन में वन परिक्षेत्र आरोन अंतर्गत सवरेज वरखेड़ाहाट की बीट मिर्जापुर (व) के वन कक्ष क्रमाक पी 155 ग्राम सांकरा, लठ्या तहसील राघोगढ एवं आरोन मे 72.782 हेक्टेयर अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही की जाना है। उक्त के संबंध मे पूर्व मे अतिक्रमणकारियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के नोटिस एवं बेदखली आदेश एवं वन परिक्षेत्र आरोन की ओर से पृथक से बेदखली नोटिस वितरण कर दिये गये है। चूकी अब तक वन एवं पुलिस अमला मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 ड्यूटी मे व्यस्त था। अतः अब चुनाव पश्चात अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही हेतु निम्नानुसार तारीखे निर्धारित की गई है। चूकि वन कक्ष क्रमाक पी 155 का क्षेत्र राघोगढ एवं आरोन तहसील एवं पुलिस थाना के अंतर्गत आता है। अतः निर्धारित दिनांकवार अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एवं लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुऐ वन परिक्षेत्र आरोन के वन स्टॉफ के अतिरिक्त निम्नानुसार वन, राजस्व, पुलिस अमले की एवं अतिक्रमण बेदखली हेतु निम्नानुसार राशि की आवश्यकता होगी।

अतिक्रमण बेदखली हेतु आवश्यक वन राजस्व पुलिस अमला

क्र.	दिनांक	आवश्यक वन राजस्व एवं पुलिस अमला	रिमार्क
1	07.12.2023, 08.12.2023, 09.12.2023, 10.12.2023	1. एस.डी.ओ. (वन) बीनागंज 2. वन मंडल गुना के समस्त वन परिक्षेत्रो का महिला एवं पुरूष स्टॉफ सुरक्षा उपकरणों एवं उडनदस्ता वाहनों के साथ मय वन परिक्षेत्र अधिकारी (सख्या 100) 3. तहसीलदार राघोगढ मय संबंधित आर.आई. एवं पटवारी 4. थाना प्रभारी राघोगढ मय पुलिस थाना बल एवं अतिरिक्त महिला एवं पुरूष पुलिस बल (संख्या 50)	अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही वन कक्ष क्रमांक पी 155 बीट मिर्जापुर (व) ग्राम लठ्या तह. राघोगढ
3	11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023	1. एस.डी.ओ. (वन) बीनागंज 2. वन मंडल गुना के समस्त वन परिक्षेत्रों का महिला एवं पुरूष स्टॉफ सुरक्षा उपकरणो एवं उडनदस्ता वाहनों के साथ मय वन परिक्षेत्र अधिकारी (संख्या 100) 3. तहसीलदार आरोन मय संबंधित आर.आई. एव पटवारी 4. थाना प्रभारी आरोन मय पुलिस थाना बल एव अतिरिक्त महिला एवं पुरूष पुलिस बल (सख्या 50)	अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही वन कक्ष क्रमांक पी 155 बीट मिर्जापुर (व) ग्राम साकरा तह. आरोन

o/c

2

अतिक्रमण बेदखली हेतु आवश्यक राशि

क्र.	अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही दिनांक	कार्य का नाम	दर	राशि	रिमार्क
1	07.12.2023, 08.12.2023, 09.12.2023, 10.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023 एवं 13.12.2023	1. जे.सी.बी. द्वारा अतिक्रमण रोधी ट्रंच खुदाई कार्य संख्या 10000 साईज (3x0.75x0.60m.)	85 प्रति ट्रंच	850000.00	–
		2. कार्यवाही के दौरान उपस्थित वन राजस्व एवं पुलिस स्टॉफ को भोजन व्यवस्था 7 दिवस	L/S	145000.00	–
	योग –		–	995000.00	–

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्तानुसार वन अमला निर्धारित दिनांकों को उपलब्ध कराने के कृपा करें एव जिला स्तर के राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों से पत्राचार कर उपरोक्तानुसार आवश्यक राजस्व एव पुलिस अमले को निर्धारित दिनाकों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित कराने की कृपा करें। साथ ही अतिक्रमण बेदखली हेतु आवश्यक राशि स्वीकृत कराने की कृपा करें।

सलग्न – अतिक्रमण बेदखली कराये जाने वाले अतिक्रमणकारियो की सूची

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

क्रमांक / 1524, 1525, दिनांक 27-11-2023

प्रतिलिपि :– 1. श्रीमान् उप वन मण्डलाधिकारी महोदय बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

2. परिक्षेत्र सहायक वरखेडाहाट एवं बीट गार्ड बीट मिर्जापुर (व) की ओर भेज कर लेख है कि आप अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही हेतु निर्धारित दिनांकों को उक्त अतिक्रमण बेदखली स्थल पर आवश्यक संसाधन जैसे जे.सी.बी. मशीनें, भोजन व्यवस्था, पेयजल आदि कराना सुनिश्चित करें। एवं दिनांक 04.12.2023 से 06.12.2023 तक वन परिक्षेत्र के समस्त अमले को साथ रख मेरे साथ रहकर कक्ष क्रमांक पी 155 में रहकर अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करावे।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in Ph.- 07545258618

दिनांक 27-11-202

क्रमांक / 1526

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :- बीट मिर्जापुर (ब) के वन कक्ष क्रमांक पी 155 ग्राम सांकरा, लढ्या तहसील राघोगढ एवं आरोन में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / व.नि.स. / वरिष्ठ–एन.जी.टी.–46 / 2023 / 9631 / गुना, दिनांक 08.11.2023 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण भोपाल बेंच में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक – OA/89/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2023

-- 000 --

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्रों के पालन में वन परिक्षेत्र आरोन अंतर्गत सबरेंज वरखेडाहाट की बीट मिर्जापुर (ब) के वन कक्ष क्रमांक पी 155 ग्राम सांकरा, लढ्या तहसील राघोगढ एवं आरोन में 72.782 हेक्टेयर अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही की जाना है। उक्त के संबंध में पूर्व में अतिक्रमणकारियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के नोटिस एवं बेदखली आदेश एवं वन परिक्षेत्र आरोन की ओर से पृथक से बेदखली नोटिस वितरण कर दिये गये है। चूंकी अब तक वन एवं पुलिस अमला मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 ड्यूटी में व्यस्त था। अतः अब चुनाव पश्चात अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही हेतु निम्नानुसार तारीख निर्धारित की गई है। चूंकि वन कक्ष क्रमांक पी 155 का क्षेत्र राघोगढ एवं आरोन तहसील एवं पुलिस थाना के अंतर्गत आता है। अतः निर्धारित दिनांकवार अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एवं लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुऐ वन परिक्षेत्र आरोन के वन स्टॉफ के अतिरिक्त निम्नानुसार वन, राजस्व, पुलिस अमले की आवश्यकता होगी।

अतिक्रमण बेदखली हेतु आवश्यक वन राजस्व पुलिस अमला

क्र.	दिनांक	आवश्यक वन राजस्व एवं पुलिस अमला	रिमार्क
1	07.12.2023, 08.12.2023, 09.12.2023, 10.12.2023	1. एस.डी.ओ. (वन) बीनागंज 2. वन मंडल गुना के समस्त वन परिक्षेत्रो का महिला एवं पुरुष स्टॉफ सुरक्षा उपकरणो एवं उडनदस्ता वाहनो के साथ मय वन परिक्षेत्र अधिकारी (संख्या 100) 3. तहसीलदार राघोगढ मय संबंधित आर.आई. एवं पटवारी 4. थाना प्रभारी राघोगढ मय पुलिस थाना बल एवं अतिरिक्त महिला एवं पुरुष पुलिस बल (संख्या 50)	अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही वन कक्ष क्रमांक पी 155 बीट मिर्जापुर (ब) ग्राम लढ्या तह राघोगढ
3	11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023	1. एस.डी.ओ. (वन) बीनागंज 2. वन मंडल गुना के समस्त वन परिक्षेत्रो का महिला एवं पुरुष स्टॉफ सुरक्षा उपकरणों एवं उडनदस्ता वाहनों के साथ मय वन परिक्षेत्र अधिकारी (संख्या 100) 3. तहसीलदार आरोन मय संबंधित आर.आई. एवं पटवारी 4. थाना प्रभारी आरोन मय पुलिस थाना बल एवं अतिरिक्त महिला एवं पुरुष पुलिस बल (संख्या 50)	अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही वन कक्ष क्रमांक पी 155 बीट मिर्जापुर (ब) ग्राम सांकरा तह. आरोन

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्तानुसार वन अमला निर्धारित दिनांको को उपलब्ध कराने के कृपा करें एवं जिला स्तर के राजस्व एवं पुलिस अधिकारियो से पत्राचार कर उपरोक्तानुसार आवश्यक राजस्व एवं पुलिस अमले को निर्धारित दिनांकों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित कराने की कृपा करें।

संलग्न :- अतिक्रमण बेदखली कराये जाने वाले अतिक्रमणकारियों की सूची

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

34 28/11/23

E:\aron data 04.08.2023\NGT\NGT Prakran, Letter.doc

क्र.क्र. 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 दिनांक 27-11-2023

प्रतिलिपि –

1. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राघोगढ़ एवं आरोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. श्रीमान् उप वन मण्डलाधिकारी महोदय बीनागंज की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. श्रीमान् उप पुलिस अधिक्षक महोदय राघोगढ़ की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4. तहसीलदार तहसील राघोगढ़ की ओर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार तहसील आरोन की ओर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. पुलिस थाना प्रभारी पुलिस थाना राघोगढ़ की ओर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. पुलिस थाना प्रभारी पुलिस थाना आरोन की ओर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. परिक्षेत्र सहायक बरखेड़ाहाट एव बीट गार्ड बीट मिर्जापुर (ब) की ओर भेज कर लेख है कि आप अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही हेतु निर्धारित दिनांको को उक्त अतिक्रमण बेदखली स्थल पर आवश्यक संसाधन जैसे जे.सी.बी. मशीने, भोजन व्यवस्था, पेयजल आदि कराना सुनिश्चित करें। एवं दिनांक 04.12.2023 से 06.12.2023 तक वन परिक्षेत्र के समस्त अमले को साथ रख मेरे साथ रहकर कक्ष क्रमांक पी 155 मे रहकर अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करावें। एवं निर्धारित अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही दिवसो मे वन परिक्षेत्र आरोन के समस्त वन अमले के साथ वन कक्ष क्रमांक पी 155 मे उपस्थित रहकर बेदखली कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

30/11/23

30-11-23

30/11/23

स्थान क्र. ... 'ब' P.155
दिनांक, 7/12/23

पंचनामा

हम पंचान नीचे हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी करने वाले सही-सही यह पंचनामा लिखा देते हैं कि आज दिनांक 07/12/23 को पूर्व से निर्धारित योजनानुसार माननीय NGT भोपाल बेंच में प्रकरण क्र. OA/89/2023 में पारित आदेश दिनांक 25/8/2023 एवं वन मंडल कार्यालय गुना के पत्र क्रमांक/मा. चि. स./ तरिष्ठ-NGT-46/2023/9631 गुना दिनांक 8/11/23 के पालन में वनमंडल गुना के आरोन सहित अन्य 05 वन परिक्षेत्रों के वन स्टाफ, उप वन मंडलाधिकारी महोदय बीनागंज, वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन, तहसीलदार राघोगढ़, एवं राजस्व अमला तथा पुलिस थाना राघोगढ़ के पुलिस स्टाफ के साथ 04 JCB सहित बीट गिजाड़ुर 'ब' के कक्ष क्र. P.155 में पहुंचे। मौके पर अतिक्रमण बेदखली का कार्य प्रारंभ किया गया। लगभग 30 अतिक्रमण रोधी खंती वन भूमि के अतिक्रमित क्षेत्र में खोदी गई थी तभी खोराई, लहठ्या, सांकरा ग्रामों के ग्रामीण एकत्रित हो गए काफी संख्या में एकत्रित हुए उक्त ग्रामीण मशीनों के सामने खड़े हो गए तथा मरने मारने की बात कर झगड़े पर उतारू हो गए। कुछ ग्रामीण इल्ली की दवाई पीकर जान देने की बात करने लगे। मौके पर खोराई सरपंच भी आ गए तथा कार्यवाही को कुछ दिन रोकने के लिए कहने लगे। चूंकि ग्रामीणों की संख्या अत्यधिक होने तथा ग्रामीणों के द्वारा झगड़े पर उतारू होने एवं वन बल एवं पुलिस बल की संख्या कम होने से अप्रिय स्थिति बनने की संभावना को देखते हुए अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही को रोककर पुनः नई तारीख तय कर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं वन बल के साथ राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में की जावेगी। मौका पंचनामा बनाया गया, जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया।
7.12.23
संजय ओझा (FG)

SDO बीनागंज 07/12/23

Teh 7/12/23

R.O. आरोन 7/12/23

R.O. Myana 07/12/23

R.O. G (N) 07/12/23

R.O. Raghogarh

Vitthal
बीट गार्ड - ... (B)

7-12-23

... 7-12-23

S.B. Kujur
प्र. उ. राघोगढ़

व. स. सिरसी

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in Ph.- 07545258618

क्रमांक / 1561 दिनांक 07.12.2023

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :- बीट मिर्जापुर (ब) के वन कक्ष क्रमांक पी 155 ग्राम सांकरा, लढ़्या तहसील राघोगढ एवं आरोन में अतिक्रमण वेदखली कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/व.नि.स./वरिष्ठ–एन.जी.टी.–46/2023/9631/गुना, दिनांक 08.11.2023 एवं माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण भोपाल बेंच में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक OA/89/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2023

-- 000 --

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज दिनांक 07.12.2023 को सदर्भित पत्रों के पालन मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1523 दिनांक 27.11.2023 एवं पत्र क्रमांक 1526 दिनांक 27.11.2023 मे निर्धारित दिनांक अनुसार श्रीमान् उप वनमंडल अधिकारी महोदय बीनागंज, वन मंडल गुना के आरोन सहित अन्य 05 वन परिक्षेत्रों के वन स्टाफ, तहसीलदार राघोगढ मय सबंधित राजस्व स्टॉफ तथा पुलिस थाना राघोगढ के पुलिस स्टॉफ तथा 04 जे.सी.वी. मशीनो को साथ रख बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 में पहुंच कर अतिक्रमण वेदखली का कार्य अतिक्रमण रोधी खंती खुदवाकर प्रारंभ किया गया, लगभग 30 अतिक्रमण रोधी खंती वन भूमि के अतिक्रमण क्षेत्र में खोदी ही गई थी तभी ग्राम खैराई, लढ़्या, सांकरा के ग्रामीण एकत्रित हो गए ग्रामीणो की संख्या काफी मात्रा में थी, उक्त ग्रामीण मशीनों के सामने खडे हो गए तथा मरने मारने की बात कर झगडे पर उतारू हो गए कुछ ग्रामीण इल्ली की दवा पीकर जान देने की बात करने लगे। मौके पर खैराई ग्राम के सरपंच भी आ गए तथा कार्रवाई को कुछ दिन रोकने के लिए कहने लगे। ग्रामीणों की संख्या अत्यधिक होने तथा ग्रामीणों के द्वारा उग्र होकर झगडे पर उतारू होने एवं वन बल तथा पुलिस बल की संख्या कम होने से अप्रिय स्थिति बनने तथा जानमाल के नुकसान की संभावना को देखते हुए अतिक्रमण वेदखली कार्यवाही को रोककर पुनः नई तारीख तय कर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं वन बल के साथ राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में कार्रवाई किया जाना तय कर आज की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ी।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त अतिक्रमण क्षेत्र 72.782 हेक्टेयर क्षेत्र में होकर काफी पुराने है तथा अतिक्रमणकारियों की संख्या काफी अधिक है, आज की स्थिति को देखते हुऐ अतिक्रमण वदेखली कार्यवाही में अतिक्रमणकारियों एवं ग्रामीणों से वडे झगडे एवं जानमाल की नुकसानी की पूर्ण संभावना है। अतः उक्त अतिक्रमण को बेदखल करने हेतु जिला स्तर पर श्रीमान् कलेक्टर महोदय, श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में लाया जाकर वृहद स्तर पर प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से राजस्व, पुलिस एवं वन अधिकारियों एवं बडी मात्रा मे पुलिस एवं वन अमले की उपस्थिति में ही किया जाना संभव हो सकेगा।

प्रतिवेदन श्रीमान् जी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :- पंचनामा दिनांक 07.12.2023

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

क्रमांक / 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568 दिनांक 07.12.2023

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राघोगढ/आरोन की ओर इस कार्यालय के पत्र क्र. 1527 दि. 27.11.2023 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. श्रीमान् उप वनमंण्डलाधिकारी महोदय बीनागंज की ओर इस कार्यालय के पत्र क्र. 1528 दि. 27.11.2023 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. श्रीमान् उप पुलिस अधिक्षक महोदय राघोगढ़ की ओर इस कार्यालय के पत्र क्र. 1529 दि. 27.11.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4. तहसीलदार तहसील राघोगढ की ओर इस कार्यालय के पत्र क्र. 1531 दि. 27.11.2023 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार तहसील आरोन की ओर इस कार्यालय के पत्र क्र. 1530 दि. 27.11.2023 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. पुलिस थाना प्रभारी पुलिस थाना राघोगढ की ओर इस कार्यालय के पत्र क्र. 1532 दि. 27.11.2023 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. पुलिस थाना प्रभारी पुलिस थाना आरोन की ओर इस कार्यालय के पत्र क्र. 1533 दि. 27.11.2023 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- पंचनामा दिनांक 07.12.2023

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

8/12/23 7/12/23 O/C 6-2-23

कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख जिला गुना (म0प्र0)

क्रमांक / 1083 / भूअभिलेख/वर्कलोड/ 2023 गुना, दिनांक 20 / 12/2023

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ ए 89/2023 (अंकित शर्मा विरूध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 25.08.2023 को पारित निर्णय अनुसार प्रकरण में उल्लेख अनुसार वन क्षेत्र अतिक्रमण बेदखल कर रिपोर्ट माननीय रजिस्ट्रार सेंट्रल जोन भोपाल को आगामी दिनांक 15.01.2024 तक प्रेषित किया जाना है।

चूंकि प्रकरण में उल्लेखित भूमि के राजस्व एवं वनभूमि होने के संबंध में विसंगति निवारण हेतु संयुक्त सर्वे की आवश्यता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व एवं वन विभाग का संयुक्त सर्वेदल निम्नानुसार गठित किया जाता है -

राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी	वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	उप वनमण्डलाधिकारी बीनागंज
तहसीलदार, आरोन एवं राधौगढ	वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन एवं राधौगढ
संबंधित राजस्व निरीक्षक	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, वनमण्डल गुना
संबंधित पटवारी	संबंधित परिक्षेत्र सहायक एवं बीट प्रभारी

उक्त दल द्वारा मौके का निरीक्षण/सत्यापन किया जायेगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट रजिस्ट्रार सेंट्रल जोन भोपाल को समयावधि में प्रस्तुत की जावे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

20/12/2023

अपर कलेक्टर,

जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक / 1083 / भूअभिलेख/वर्कलोड/ 2023 गुना, दिनांक 20 / 12/2023

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला गुना ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल गुना की ओर कार्यालयीन टीप क्रमांक/वनि.स/वरिष्ठ NGT- 46/2023/10437 गुना दिनांक 18.12.2023 के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. अनुविभागीय अधिकारी —————— ।
5. तहसीलदार —————— ।
6. संबंधित पटवारी श्री —————— ।

9184 20/12/23

वनमंडलाधिकारी वनमण्डल, गुना

20/12/2023

अपर कलेक्टर,

जिला गुना (म.प्र.)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गुना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / व.नि.स. / NGT-46 / 2023 / 10533 गुना दिनांक / 20/12/2023

प्रतिलिपिः—

(1) उपवनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डल बीनागंज

(2) वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन

की ओर भेजकर लेख है कि आप संबंधित राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क कर संयुक्त सर्वेक्षण हेतु शीघ्र तिथि निर्धारित कराकर इस कार्यालय को अवगत करावें एवं सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराकर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

(3) श्री चन्द्रमोहन शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, वनमण्डल गुना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

(4) वन परिक्षेत्राधिकारी राघौगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

STD 20/12/23

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़ जिला गुना म.प्र.

क्रमांक 2190/स्टेनो/2023 राघौगढ़ दिनांक 20/12/2023

-::आदेश::-

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला गुना के आदेश क्रमांक 1083/ भू-अभि. /वर्कलोड/2023 गुना दिनांक 20-12-2023 के पालन में राजस्व एवं वनभूमि होने के संबंध में विसंगति निवारण हेतु अनुभाग राघौगढ़ के अंतर्गत ग्राम खैराई एवं लद्या में संयुक्त सर्वे की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सर्वेदल गठित किया जाता है।

राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी	वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी
श्री अनुराग जैन, तहसीलदार, तहसील राघौगढ़	श्री आर.सी. डामौर, उप मण्डलाधिकारी वन बीनागंज-राघौगढ़
श्री गेन्दालाल भारती, रा.नि.तहसील राघौगढ़	श्री सुधीर शर्मा, वनपरिक्षेत्राधिकारी आरोन
श्री सोनू मीना, ह. पटवारी तहसील राघौगढ़	श्री संतोष वाथम, परिक्षेत्र सहायक बरखेड़ाहाट
श्री राहुल टाण्डेल, पटवारी तहसील राघौगढ़	श्री राजा रघुवंशी, बीटगार्ड मिर्जापुर व
श्री किरणसिंह पंवार, तहसील राघौगढ़	श्री विशाल शर्मा, बीटगार्ड, श्री संजय ओझा बीटगार्ड

उपरोक्त सर्वे वनभूमि में किया जाना है जिसके संपूर्ण दस्तावेज वनविभाग एवं वन क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व भूमि के संबंधित दस्तावेज राजस्व विभाग मौके पर सर्वे के दौरान साथ में रखें। उपरोक्त सर्वे दल अतिक्रमणकारियों एवं भूमिस्वामियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को वन भूमि से संबंधित रिकार्ड एवं राजस्व रिकार्ड से मिलान कर आदेश प्राप्ति के दो दिवस में सर्वे पूर्णकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न - निर्धारित सर्वे प्रारूप

(आर.सी. डामोर)
उपवन मण्डलाधिकारी
उपवन मण्डल-बीनागंज
(मुख्यालय - राघौगढ़)
वन मण्डल सा. गुना(म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) राघौगढ़ (म. प्र.)

प्रतिलिपि

1- कलेक्टर महोदय, जिला गुना की ओर सूचनार्थ।

2- जिला वनमंडला अधिकारी की ओर सूचनार्थ।

3- संबंधित श्री...की ओर पालनार्थ।

(आर.सी. डामोर)
उपवन मण्डलाधिकारी
उपवन मण्डल-बीनागंज
(मुख्यालय - राघौगढ़)
वन मण्डल सा. गुना(म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) राघौगढ़ (म. प्र.)

हम पंचान नीचे हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी करने वाले सही सही यह पंचनामा लिख देते हैं कि आज दिनांक 21/12/2023 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघोगढ़ के आदेश क्र. 2190/रीडर/2023 दिनांक 20/12/23 के पालन में ग्राम खैराई के नक्शे कुप नं. P-155 का आदेशानुसार गठित राजस्व दल के साथ संयुक्त सर्वे किया गया। जिसमें कक्ष क्र. P-155 के राजस्व खसरा नं. 167 में ग्राम खैराई के लोगों द्वारा अतिक्रमित भूमि का सर्वे किया गया। उक्त सर्वे दौरान ग्रामीणों ने जो दस्तावेज प्रदान किये, प्राप्त किये गये। तथा सर्वे अनुसार उक्त आदेश में चाही सूची तैयार की गई। उक्त समस्त भूमि की KML फाइल एवं GPS Coordinates लिये गये।

मौका पंचनामा बनाया गया, जो सही है। वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा
लिखा गया।

21.12.23
संजय ओझा (प.र.)

R.O.
21/12/23

21/12/23
STF
21/12/23

R.I. राघोगढ़
21/12/2023

21-12-2023

Vishal
21-12-2023
(प.र.)

हम पंचान नीचे हस्ताक्षर, कर्ता निवासी [illegible] आज सही सही यह पंचनामा लिखा देते हैं कि आज दिनांक 22/12/2023 को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजगढ़ [illegible] के आदेश क्र. 3190/रीडर/2023 दिनांक 20/12/2023 के पालन में ग्राम [illegible] को [illegible] प्र.क्र. P 155 का आदेशानुसार [illegible] राजस्व [illegible] संयुक्त रूप से किया गया। जिसमें प्र.क्र. P 155 की [illegible] सर्वे क्र. 52 [illegible] तहसील राजगढ़ [illegible] द्वारा चिन्हित भूमि का सर्वे किया गया। [illegible] सर्वे के दौरान ग्राम [illegible] के साथ [illegible] तथा सर्वे अनुसार सर्वे में 52/2/3, 52/2/2, [illegible] ली गई। उप, 50/2/2, 50/2/3, 52/3, 50/3/1/1, 50/2/1/2, 50/3 सर्वे क्र. राजस्व नक्शा अनुसार [illegible] पाई गई।

मौके पंचनामा बनाया गया, जो सही है [illegible] जाने।

पंचनामा मेरे द्वारा
लिखा गया।

[illegible] 22.12.23

[illegible] (पट.)

(हस्ताक्षर) 22/12/23

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
22.12.2023

(हस्ताक्षर) (ग्रामीण)

(हस्ताक्षर) (ग्रामीण)

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर) (ग्रामीण) (हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर) (ग्रामीण)

(हस्ताक्षर) (ग्रामीण)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी आरोन जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक / री.-1 / 2023 / आरोन दिनांक 23/12/23

::आदेश::

—00—

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला गुना के आदेश क्रमांक 1083/भू-अभि./बर्कलोड/2023 गुना दिनांक 20-12-2023 के पालन में राजस्व एवं वनभूमि होने के संबंध में विसंगति निवारण हेतु अनुभाग आरोन के अंतर्गत ग्राम सांकरा में संयुक्त सर्वे की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुऐ राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सर्वेदल गठित किया जाता है।

स. क्रमांक	राजस्व विभाग क अधिकारी/कर्मचारी	वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी
1	श्री मोतीलाल पंथी, नायव तहसीलदार, वृत्त बरखेड़ाहाट, तहसील आरोन	श्री आर.सी. डामौर, उप मण्डलाधिकारी वन बीनागंज-राघौगढ़
2	श्री मांगीलाल अहिरवार, राजस्व निरीक्षक, तहसील आरोन	श्री सुधीर शर्मा, वनपरिक्षेत्राधिकारी आरोन
3	श्रीमति कल्पना गोरछिया, पटवारी, तहसील आरोन	श्री संतोष वाथम, परिक्षेत्र सहायक बरखेड़ाहाट
4	श्री हरदयाल धाकड़, पटवारी, तहसील आरोन	श्री राजा रघुवंशी, बीटगार्ड मिर्जापुर, श्री विशाल शर्मा, बीटगार्ड, श्री संजय ओझा बीटगार्ड

उपरोक्त सर्वे वन भूमि में किया जाना है जिसके संपूर्ण दस्तावेज वन विभाग एवं वन क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व भूमि के संबंधित दस्तावेज राजस्व विभाग मौके पर सर्वे क दौरान साथ में राखें। उपरोक्त सर्वे दल अतिक्रमणकारियों एवं भूमिस्वामियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को वन भूमि से संबंधित रिकार्ड एवं राजस्व रिकार्ड से मिलान कर आदेश प्राप्ति के दो दिवस में सर्वे पूर्णकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।

संलग्नः- निर्धारित सर्वे प्रारूप।

(शिवानी पाठक)
अनुविभागीय अधिकारी
आरोन जिला गुना (म.प्र.)

पृ. क्रमांक / री.-1 / 2023 / आरोन दिनांक ....

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय जिला गुना की ओर सूचनार्थ।
2. जिला वनमण्डलाधिकारी जिला गुना की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित श्री .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी
आरोन जिला गुना (म.प्र.)

Com-B/2023/Order

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल गुना (म.प्र.)

(Email-dfoguna@rediffmail.com, dfot.gun@mp.gov.in, Office Ph. 07542-259650 Fax- 07542 250954)

क्रमांक / डी. एम. / 2023 10769 गुना, दिनांक 28/12/2023

प्रति,

मुख्य वनसरंक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

विषय :— जिला टास्क फोर्स की बैठक के नियमित आयोजन के संबध में।

---00---

उपरोंक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं वनभूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से जिला एवं वनमंडल गुना में गठित टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 18.12.2023 को आयोजित की गई, बैठक में चर्चा एवं लिये गये निर्णय का कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सप्रेषित है।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

(अक्षय राठौर)
(भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमंडल गुना

पृ.क्र. / डी.एम. / 2023 / 10770 गुना, दिनांक 28/12/23

प्रतिलिपिः—

1. प्रंधान मुख्य वनसरंक्षक (वन बल प्रमुख) म.प्र.भोपाल भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक जिला. गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपवनमंडलाधिकारी गुना, बमौरी, बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वनपरिक्षेत्राधिकारी आरोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

(अक्षय राठौर)
(भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमंडल गुना

टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 18.12.2023. की कार्यवाही का विवरण

म.प्र. शासन वनविभाग,भोपाल का पत्र कमांक/एफ/4/0001/2023/10–3/भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2023 के निर्देशानुसार वनक्षेत्रों में अवैध उत्खनन, एवं अवैध कटाई, वनभूमि पर अतिकमण एवं वन्य प्राणीयों के शिकार की रोकथाम हेतु जिला गुना में गठित टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 18.12.2023. को आयोजित की गई। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

वनपरिक्षेत्राधिकारी आरोन :–

माननीय एन.जी.टी. प्रकरण कंमाक ओ.ए. 89/2023 अंकित शर्मा विरूद्व म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.08.2023 को पारित निर्णय के पालन में प्रकरण में उल्लेखित वन क्षेत्र पर अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही की जानी है। प्रकरण में वन परिक्षेत्र आरोन की बीट मिर्जापुर 'ब' के कक्ष क्रमांक पी. 155 में व्याप्त अतिक्रमण रकबा 72.782 हेक्टेयर के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 111/02 दिनांक 05.07.2023, 111/04 दिनांक 28.07.2023, 111/06 दिनांक 28.07.2023, 111/07 दिनांक 14.08. 2023, 111/08 दिनांक 16.08.2023, 111/09 दिनांक 17.08.2023, 111/10 दिनांक 19.08.2023 एवं 111/11 दिनांक 19.08.2023 की कायमी की जाकर दिनांक 06.09.2023 को भा.व.अ. 1927 के तहत धारा 80 'अ' के नोटिस जारी किये गये तथा 27.10.2023 को बेदखली आदेश जारी किये जा चुके हैं। प्रकरण में पूर्व में भी वीट मिर्जापुर 'ब' के कक्ष कमांक पी 155 में अतिकमण रकबा 48.793 हेक्टेयर की बेदखली हेतु 45 अतिक्रामकों के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण कंमाक 91/25 दिनांक 28.07.2004 एवं पी.ओ.आर. 102/01 दिनांक 28.07.2004 जारी हैं। जिनके संन्दर्भ में समस्त 45 अतिकामको (संलग्न सूची अनुसार) को धारा 80 'अ' के नोटिस कमांक 2427 एवं 2421 दिनांक 19.01.2005 से एवं बेदखली आदेश कमांक A 1485 एवं A 1490 दिनांक 31.12.2005 से जारी किये गये है। उक्त अतिकमण काफी पुराना है एवं अतिसंबेदनशील क्षेत्र होने के कारण अतिकमण बेदखली में लडाई–झगडे की पूर्ण संभावना है। बृहद स्तर पर संयुक्त कार्यवाही की जाकर ही उक्त अतिकमण को बेदखल किया जा सकता है।

उपरोक्त कक्ष कंमाक पी–155 का वनक्षेत्र एन.जी.टी. प्रकरण से संबधित होने के कारण अतिकमण को टास्क फोर्स के माध्यम से बेदखल किया जाना अतिआवश्यक है। उपरोक्त अतिकमण को भी अतिक्रमित व्यक्तियों कि सूची संलग्न है।

बैठक में उक्त वनभूमि में निजि राजस्व भूमि होना भी संज्ञान मे लाया गया है। इस हेतु वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त सर्वे दल शीघ्र तैयार कर यथाशीघ्र संयुक्त सर्वेक्षण कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

अतः माननीय एन.जी.टी. न्यायलय में प्रचलित प्रकरण कमांक ओ.ए. 89/2023 अंकित शर्मा विरूद्व म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.08.2023 को पारित निर्णय के पालन में वनपरिक्षेत्र आरोन की वीट मिर्जापुर ब के कक्ष कमांक पी–155 मे व्याप्त उक्त अतिकमण बेदखली की कार्यवाही किये जाने के संबध में उपस्थित सभी सदस्यो द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त अतिकमण की बेदखली कार्यवाही वन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त सर्वे दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत वन विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जावेगी।

वनमंडलाधिकारी **सामान्य वनमण्डल गुना**	**पुलिस अधीक्षक** **गुना (म.प्र.).**	**कलेक्टर** **गुना (म.प्र.)**

कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख जिला गुना (म0प्र0)

क्रमांक / 1083 / भू'अभिलेख/वर्कलोड/ 2023 गुना, दिनांक 20 / 12 /2023

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ ए 89/2023 (अंकित शर्मा विरूध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 25.08.2023 को पारित निर्णय अनुसार प्रकरण में उल्लेख अनुसार वन क्षेत्र अतिक्रमण बेदखल कर रिपोर्ट माननीय रजिस्ट्रार सेंट्रल जोन भोपाल को आगामी दिनांक 15.01.2024 तक प्रेषित किया जाना है।

चूंकि प्रकरण में उल्लेखित भूमि के राजस्व एवं वनभूमि होने के संबंध में विसंगति निवारण हेतु संयुक्त सर्वे की आवश्यता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व एवं वन विभाग का संयुक्त सर्वेदल निम्नानुसार गठित किया जाता है -

राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी	वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	उप वनमण्डलाधिकारी बीनागंज
तहसीलदार, आरोन एवं राधौगढ	वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन एवं राधौगढ
संबंधित राजस्व निरीक्षक	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, वनमण्डल गुना
संबंधित पटवारी	संबंधित परिक्षेत्र सहायक एवं बीट प्रभारी

उक्त दल द्वारा मौके का निरीक्षण/सत्यापन किया जायेगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट रजिस्ट्रार सेंट्रल जोन भोपाल को समयावधि में प्रस्तुत की जावे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

20/12/2023

अपर कलेक्टर,
जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक / 1083 / भू'अभिलेख/वर्कलोड/ 2023 गुना, दिनांक 20 / 12 /2023

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला गुना ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल गुना की ओर कार्यालयीन टीप क्रमांक/वनि.स/वरिष्ठ-NGT- 46/2023/10437 गुना दिनांक 18.12.2023 के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. अनुविभागीय अधिकारी ------------------------------ ।
5. तहसीलदार --।
6. संबंधित पटवारी श्री -------------------------------------।

20/12/2023

अपर कलेक्टर,
जिला गुना (म.प्र.)

Latitude: 24.436026
Longitude: 77.271184
Elevation: 474.56±3 m
Accuracy: 13.3 m
Time: 07-12-2023 10:57
Note: आरोन
Powered by NoteCam

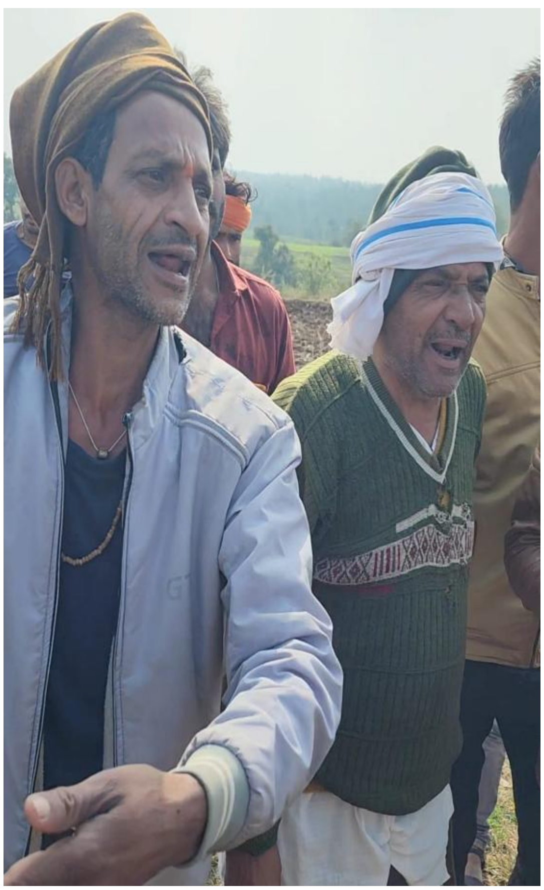

MP08